न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–72/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/72)

1. रामकिशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी
2. रूपश्यामकिशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी
3. शिवरतन किशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी
4. ललित किशोर पुत्र श्यामलाल जाति सांसी निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.2023 राजस्व वाद संख्या 43/19.

उपस्थितः–

1. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः– 17.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 43/19 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थी ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लौहरवाडा की पुश्तैनी कब्जाशुदा नियमनशुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 1221, 1223, 1231, 1232, 1241, 1221 पर प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान खसरा परिवर्तन संवत 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2058, 2060, 2061, 2070 प्रार्थीगण व उनके पिता के नाम दर्ज है तथा दिनांक 24.09.2001 को जिला कलक्टर अजमेर द्वारा नियमन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2824, 2839, 2841 सिवायचक गलत दर्ज कर दी गई को दुरूस्त की जाकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें एवं कब्जा काश्त में दखल बाधा कारित नहीं करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा राजस्थान सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया कि प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है एवं उभयपक्ष की बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2023 को विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 43/19 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा न्याय नियम सिद्धांत के विपरीत पारित किया गया जो खारिज किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.1.2023 केवल इस आधार पर पारित किया गया कि भूमि का नियमन नहीं किया गया था तथा भूमि सिवायचक है जबकि राजस्व रिकार्ड में वर्षों से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो नियमानुसार खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर खातेदारी दस्तावेजों की अनदेखी की अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य है। मौके पर अपीलार्थी/प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य है एवं अपीलार्थी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन होने से अपीलार्थी के पक्ष में निहित होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2023 निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 49/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें एवं दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2824, 2839, 2841 जो ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद में प्रार्थी को उनके हक हिस्से की भूमि से महरूम नहीं करे तथा ना ही कब्जा काश्त में दखल करें एवं बय, बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करें तथा किसी प्रकार की विघ्न बाधा एवं नुकसान कारित नहीं करें एवं नहीं किसी अन्य से करवाए के लिए व्यादेश के आदेश पारित किए जावे एवं उक्त आश्य के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के आदेश पारित कर प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में आरंम्भ से ही सिवायचक दर्ज है तथा हाल राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। वादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। भूमि वादी अथवा उसके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज नहीं होकर सिवायचक दर्ज है। वादीगण ने सिवायचक आराजी पर निरंतर कब्जे काश्त के आधार पर उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार का

अनुतोष चाहा है किंतु कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण को सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। वादीगण का उक्त आराजी पर यदा–कदा अतिक्रमी के रूप में ही कब्जा काश्त रहा है। यदि वादीगण उक्त आराजी पर अपना कब्जा मानते है तो भी उन्हें नियमानुसार नियमन की कार्यवाही करनी चाहिए। अतः वादी खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वर्तमान रेस्पोडेंट के हक में तीनों बिंदुओं का निर्णय किया गया था जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए कथन की प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई विधिक अधिकार निहित नहीं है। सिवायचक भूमि पर तहसीलदार के विरूद्ध बिना किसी ठोस कारण व्यादेश जारी करना न्यायोचित नहीं है प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है जिसको प्रार्थीगण साबित करने में विफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपूर्णीय क्षति में यह कथन किए गए कि प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी की नहीं है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहते है जो मूल वाद में साक्ष्य आदि से तय होगा। वर्तमान में प्रार्थीगण राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है जिनको विधिक प्रक्रिया से बेदखल करना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को पाबंद नहीं किए जाने से प्रार्थीगण को किस प्रकार अपूर्णीय क्षति होगी यह साबित करने में प्रार्थीगण पूर्णतः असफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुविधा के संतुलन पर किए गए कथन में यह कहा गया कि व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिंदु विरूद्ध प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिद्ध किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थी ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। हमने पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन में पाया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है तथा हाल राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। वादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी अथवा उसके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज नहीं होकर सिवायचक दर्ज है। वादीगण ने सिवायचक आराजी पर निरंतर कब्जे काश्त के आधार पर उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा है किंतु वादीगण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

भूमि पर यदा–कदा ही कब्जा काश्त रहा है तथा मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण को सिवाचयक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है या नहीं यह बाद वाद में साक्ष्य व सुनवाई में तय होना है। वादीगण/प्रार्थीगण का उक्त आराजी बाबत अतिक्रमी के रूप में कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह माना है कि तहसीलदार, नसीराबाद ने भी उक्त आराजी पर नियमानुसार विधिक बेदखली की प्रक्रिया की है। आराजी मुतनाजा पूर्व में भी सिवायचक दर्ज थी। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार अपूर्णीय क्षति के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय का यही कथन है कि प्रार्थीगण उक्त आराजी पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहते हैं जबकि प्रार्थीगण स्वयं एक अतिक्रमी है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को पाबंद नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुविधा का संतुलन भी विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांटस के निर्णित किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रमुख तीन मुख्य बिन्दु क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का पूर्ण विवेचन कर, निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है, जिसमें न्यायाला हाजा द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 43/19 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील–प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर